ज़ पत्रावली

-1/18 पत्रावली पेश हुई । बकुलाय उप. पीठासीन
अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार
क्यारे है पत्रावली दिनांक 17/1/18
को पेश हो

17/1/18 पत्रावली पेश हुई । बकुलाय उप. पीठासीन
अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार
क्यारे है पत्रावली दिनांक 29/1/18
को पेश हो

29/1/18 पत्रावली पेश बार एसोसियशन ने
कन्डोलेन्स .... कर कार्य स्थगन
का निवेदन किया / पत्रावली इलाका
होकर दिनांक 7/2/18 ...... को पेश हो ।

7·2·18 वकील वादी उपु। प्रतिवादीगण को बार-बार अवाज लगाए जाने के बावजूद अनुपस्थित रहे हैं एवं पक्षीय कार्यवाही की जाती है। साक्ष्य वादी में शपथ-पत्र पेश किए हैं। बहस सुनी गई। 10 वास्ते आदेश हेतु दिनांक 12·2·18 को पेश हो।

12·2·18 वकील वादी उप। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम नौवा के ख·नं· 31 रकबा 2·41 है० भूमि पैतृक होना तथा पारिवारिक समझौते एवं एडवर्स पजेशन के आधार पर सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी घोषणा करवाने का वाद पेश किया है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के सम्मन अखबार में प्रकाशित

सम्मन
...
तिए
...में
..1/17

करवाया गया एक माह से अधिक समय तक इन्तजार के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 के अनुसार ख-नं. 3 रकबा 2-41 हैक्टयार भूमि श्रवणकुमार, मूलचन्द, नन्दलाल, चन्दुलाल, सम्पतलाल, सत्यनारायण, ब्रजमोहन पि. रामकिशन कौम ब्राह्मण के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त विवादित भूमि वादी या वादी के पिता के नाम दर्ज नही रही है न ही कोई पारिवारिक सेटलमेन्ट पेश किया है केवल मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर खातेदारी घोषणा चाही है उक्त भूमि पर वादी व वादी के पिता का शुरू से कब्जा काश्त रहा हो ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिससे वादी का वाद साबित नही होता है खारिज किया जाता है यह आदेश आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। डिग्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
नावां